न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू
पीठासीन अधिकारी :– श्री विजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
07/2019	111, 128 LRA	29.03.2019	23.04.2025

पालाराम पुत्र श्री मनीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सिरसली तहसील व जिला चूरू (राज.)
–प्रार्थी–

बनाम

1. सीताराम शर्मा पुत्र देबूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सिरसला तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. इन्द्रसिंह पुत्र भागसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिरसला तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. मनू पुत्र गोमदाराम जाति चमार निवासी ग्राम सिरसला तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरू तहसील व जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–मुख्य अप्रार्थीगण–

6. चेतराम चुत्र ज्ञानाराम
7. मोहरसिंह पुत्र महावीरसिंह

जाति मेघवाल निवासी ग्राम राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.)

–गौण अप्रार्थीगण–

उपस्थित:–
1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिहाग प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्रीमती सुनीता जांगिड़ अप्रार्थी सं. 4
3. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ गौण अप्रार्थी सं. 5 से 6

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ख.नं. 751/230 तादादी 5.6529 हैक्टेयर रोही सिरसला तहसील व जिला चूरू (राज.) की भूमि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 शामिल प्रार्थना पत्र है। यह कृषि भूमि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जो कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के ही कब्जा, काश्त, खातेदारी में निर्बाध रूप से चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि की पश्चिमी सींव अप्रार्थी सं. 1 सीताराम द्वारा, दक्षिणी सींव अप्रार्थी सं. 2 इन्द्रसिंह द्वारा एवं उत्तरी सींव अप्रार्थी सं. 3 मनू द्वारा काटकर क्षतिग्रस्त कर प्राणघातक जर्जर कर दी गई है। उक्त अप्रार्थीगण नई सींव कायम करना चाहते हैं, जिसका विरोध प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण ने किया तो कहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उक्त भूमि मेरी खातेदारी में है, मगर अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने इसे मानने से स्पष्ट इन्कार हो गया। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण एक सभ्य एवं भोले–भाले कृषक हैं मगर मौके पर प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी सं. 1 से 3 के बीच कृषि भूमि की सीमा नष्ट, जर्जर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद बना रहता है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण के लिये यह जरूरी हो गया है कि इस ख.नं. 751/230 तादादी 5.6529 हैक्टेयर रोही सिरसला तहसील व जिला चूरू (राज.) की भूमि का सीमाज्ञान करवा कर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावे। इसलिए यह विविध प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है ताकि सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाई जाये जिससे प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 से 3 के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद समाप्त हो सके। प्रार्थी की कृषि भूमि रहन होने के कारण उक्त भूमि में बतौर अप्रार्थी सं. 4 बैंक शाखा प्रबन्धक को पक्षकार बनाया गया है तथा सभी प्रक्रिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है इस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को बतौर अप्रार्थी सं. 5 बनाया गया है। यह कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के लिये निर्धारित फीस एवं खर्चा वहन करने के लिये तैयार हैं तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जायेगी। यह कि विवादित कृषि भूमि श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त हैं तथा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं ख.नं. 751/230 तादादी 5.6529 हैक्टेयर रोही सिरसला तहसील व जिला चूरू (राज.) का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्रीमती सुनीता जांगिड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं 5 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक के सही पते के सम्मन पेश करने की हिदायत अधिवक्ता प्रार्थी को दी गई। तत्पश्चात् काफी समय तक पत्रावली तलबी में नियत रही। अप्रार्थी सं. 1 से 3 को रजिस्टर्ड डाक के सम्मन जारी किये गये। अधिवक्ता प्रार्थी ने रजिस्टर्ड डाक के सम्मनों की रसीदात् एवं डिलीवरी रिपोर्ट पेश की, जिनके अवलोकन से अप्रार्थी सं. 1 से 3 पर विधिवत रूप से तामील होना पाया गया जिस पर इनको न्यायालय समय में रूक–रूक कर बार–बार आवाज लगाई गई परन्तु अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से बिना कोई उचित कारण के कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 से 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। गौण अप्रार्थी सं. 6 व 7 की ओर से श्री [illegible] सहड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 ने निवेदन किया कि रहनकर्ता बैंक का हित सुरक्षित रखते हुए आदेश पारित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जवाब पेश नहीं करना चाहते। अधिवक्ता गौण अप्रार्थी सं. 6 व 7 ने निवेदन किया कि प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त रूप से ख.नं. 751/230 तादादी 5.6529 हैक्टेयर रोही सिरसला तहसील व जिला चूरू (राज.) में स्थित है, जिसका हम सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। हम पृथक् से जवाब नहीं देना चाहते। इसलिए बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। नियत दिनांक को प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थी सं. 6 व 7 की कृषि भूमि के मौके पर सीमा चिन्ह नष्ट, जर्जर व क्षीण हालत में है इस कारण खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद बना रहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दक्ष भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारीगण की टीम से केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सही सीमा ज्ञान व पुख्ता पत्थरगढी करवाने के आदेश फरमाये जावें। अधिवक्ता गौण अप्रार्थी सं. 6 व 7 की ओर से अपनी बहस में जाहिर किया कि इस प्रकरण की कृषि भूमि के मौके पर स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण सीमा का विवाद मौके पर मौजूद है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये सीमांकन के लिए Centre point कायम किया जावे एवं उसी Centre point के आधार पर सुसंगत पैमाईश व पत्थरगढ़ी करवाई जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 ने निवेदन किया कि रहनकर्ता बैंक का हित सुरक्षित रखते हुए सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख.नं. 751/230 तादादी 5.6529 रोही ग्राम सिरसला तहसील चूरू की भूमि में प्रार्थी पालाराम पुत्र मनीराम 1/4 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी सिरसली खातेदार, गौण अप्रार्थी सं. 6 चेतराम पुत्र ज्ञानाराम 1/2 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी राजपुरा खातेदार व गौण अप्रार्थी सं. 7 मोहरसिंह पुत्र महावीरसिंह 1/4 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी राजपुरा खातेदार संयुक्त रूप से अंकित हैं। उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है तथा नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि के समस्त पड़ौसी खातेदारों को अप्रार्थी सं. 1 से 3 के रूप में पक्षकार बनाया है जो विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आये हैं। उपस्थित अप्रार्थी सं. 4 व गौण अप्रार्थी सं. 6 व 7 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति प्रदान की है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 3 तक के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है व कोई तथ्य या दस्तावेज प्रत्यक्ष नहीं है जिससे सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। साथ ही वकील प्रार्थी व गौण अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सं. 6 व 7 की ओर से बहस में भी कथन किया गया है कि Centre point कायम किया जाकर पैमाईश की जानी चाहिए। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से अप्रार्थी सं. 1 से 3 के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम सिरसला तहसील चूरू के खसरा नं. 751/230 तादादी 5.6529 हैक्टेयर कृषि भूमि के सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर प्रार्थी एवं पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:23 IST
Reason: SelfAttested